हितधारक सहभागिता और सूचना प्रकटीकरण

प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक मानक 10*

प्रस्तावित ईएसएस10 किस बारे में है?

परियोजना की प्रकृति और पैमाने के अनुपात में प्रभावी हितधारक सहभागिता और सूचना प्रकटीकरण से परियोजनाओं की पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता में सुधार हो सकता है, परियोजना की स्वीकृति बढ़ सकती है और सामाजिक, पर्यावरणीय और वित्तीय परिणामों में सुधार हो सकता है। प्रस्तावित मानक पूरे परियोजना चक्र में कर्जदार /ग्राहक स्थानीय समुदायों, मेजबान समुदायों, परियोजना श्रमिकों और कार्यकर्ता प्रतिनिधियों और अन्य परियोजना हितधारकों सहित परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के बीच खुली, पारदर्शी और सुरक्षित सहभागिता के महत्व को मान्यता देता है। इसमें सार्थक परामर्श, सूचना प्रकटीकरण और शिकायत तंत्र सहित हितधारक सहभागिता से संबंधित सभी अपेक्षाओं को समेकित किया गया है।

प्रस्तावित ईएसएस10 सुरक्षा नीति विवरण (2009) में सार्थक परामर्श, सूचना प्रकटीकरण और शिकायत तंत्र के लिए आवश्यकताओं को समेकित करता है।

* ईएसएस10 का पूरा पाठ सुरक्षा नीति समीक्षा: मसौदा नीति| एशियाई विकास बैंक (adb.org). https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy पर है। यह सूचना विवरणिका प्रस्तावित पर्यावरण और सामाजिक रूपरेखा (ईएसएफ) संबंधी परामर्श मसौदे के आधार पर केवल सूचनार्थ तैयार की गई थी। Q4 2023 में निर्धारित वर्किंग पेपर के हिस्से के रूप में प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक रूपरेखा (ईएसएफ) के पूर्ण पाठ पर एडीबी निदेशक मंडल से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। अंतिम ईएसएफ पर 2024 में एडीबी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।

SAFEGUARD POLICY REVIEW AND UPDATE

ADB

इस मानक के उद्देश्य हैं:

- हितधारक सहभागिता के लिए ऐसा सुव्यवस्थित दृष्टिकोण स्थापित करना जो कर्जदार ओं/ग्राहकों को उनके हितधारकों के साथ रचनात्मक और उत्तरदायी संबंध विकसित करने और बनाए रखने में मदद करेगा;
- सार्थक परामर्श के माध्यम से किसी परियोजना के लिए हितधारकों की रुचि और समर्थन के स्तर का आकलन करना, और परियोजना विकास प्रक्रिया, और पर्यावरणीय और सामाजिक (ई एंड एस) प्रदर्शन के कार्यान्वयन और निगिरानी में हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखना संभव बनाना;
- उन मुद्दों पर हितधारकों के साथ प्रभावी और समावेशी सहभागिता को बढ़ावा देना और साधन प्रदान करना जो संभावित रूप से परियोजना चक्र की तैयारी और कार्यान्वयन चरणों के दौरान उन्हें प्रभावित कर सकते हैं;
- यह सुनिश्चित करना कि ई एंड एस जोखिमों और प्रभावों पर उचित परियोजना जानकारी हितधारकों को समय पर, समझने योग्य और सुलभ तरीके और प्रारूप में प्रकट की जाए;
- यह सुनिश्चित करना कि विंचित या कमजोर परियोजना-प्रभावित व्यक्तियों की जरूरतों और सरोकारों को हितधारक सहभागिता और सूचना प्रकटीकरण प्रक्रिया में पहचाना और ध्यान में रखा जाए; और
- हितधारकों को प्रतिशोध के भय के बिना सवाल, प्रस्ताव, सरोकार और शिकायतें उठाने के लिए सुरक्षित, सुलभ और समावेशी साधन प्रदान करना, और यह सुनिश्चित करना कि कर्जदार /ग्राहक प्रतिक्रिया दें और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें।

नए और बेहतर नीतिगत प्रावधान क्या हैं?

1 हितधारक सहभागिता योजना विकसित करना

प्रस्तावित मानक में सार्थक परामर्श की अपेक्षाओं और प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई है, जिससे सभी हितधारकों के लिए सुरक्षित और सुलभ भागीदारी को बढ़ावा मिले। इसमें कर्जदार /ग्राहक को परियोजना की प्रकृति और पैमाने के अनुपात में एक हितधारक सहभागिता योजना (एसईपी) करने की आवश्यकता होती है। एसईपी एक स्टैंड-अलोन दस्तावेज़ या किसी परियोजना के लिए तैयार किए गए किसी अन्य पर्यावरणीय और सामाजिक दस्तावेज़ का एक हिस्सा हो सकता है।

2 वंचित या कमजोर समूह

कर्जदार /ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि हितधारक सहभागिता के माध्यम से वंचित या कमजोर समूहों की पहचान की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हितधारक सहभागिता और सूचना प्रकटीकरण प्रक्रिया और शिकायत तंत्र के डिजाइन में उनकी जरूरतों और सरोकारों को पहचाना और ध्यान में रखा जाए।

3 सुलभ शिकायत तंत्र स्थापित करना

कर्जदार /ग्राहक शिकायतों की समय पर प्रतिक्रिया और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए शुरुआती चरणों में शिकायत तंत्र स्थापित करेगा। शिकायत तंत्र में प्रतिशोध, दुर्व्यवहार, धमकी या भेदभाव के आरोपों का समाधान करने और उचित उपचारात्मक उपाय करने की स्पष्ट अपेक्षाएं होंगी, और गुमनाम शिकायतें निपटाने का प्रावधान होगा।

4 **परियोजना की जानकारी का प्रकटीकरण**

प्रस्तावित मानक के लिए सभी उच्च जोखिम, सारभूतजोखिम और मध्यम जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना की जानकारी के प्रकटीकरण के लिए दो-तरफा संचार चैनल की आवश्यकता होती है, परियोजना की तैयारी में परियोजना डिजाइन, लेकिन सार्वभौम परियोजना के लिए एडीबी के परियोजना मूल्यांकन और निजी क्षेत्र के संचालन के लिए अंतिम क्रेडिट अनुमोदन से पहले यथाशीघ्र और एक समय सीमा में जो हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श को सक्षम बनाता है। यह दृष्टिकोण अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के अनुरूप है। परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए प्रकटीकरण ऐसे तरीके से होना चाहिए जो समझने योग्य, सुलभ और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, साथ ही उन समूहों की विशिष्ट अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाए जो किसी परियोजना से भिन्न या असंगत रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

5 **पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन आवंटित करना**

सूचना प्रकटीकरण और शिकायत तंत्र सहित एसईपी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कर्जदार /ग्राहक पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन आवंटित करेगा। चिह्नित अंतरालों और सरोकारों के समाधान के लिए कार्यान्वयन और सिफारिशों पर निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए परियोजना की जटिलता के आधार पर योग्य तृतीय-पक्ष विशेषज्ञ नियुक्त किए जा सकते हैं।

ASIAN DEVELOPMENT BANK
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO)
© 2023 ADB. The CC license does not apply to non-ADB copyright materials in this publication.
https://www.adb.org/terms-use#openaccess http://www.adb.org/publications/corrigenda Publication Stock No. ARMXXXXXX-X

Printed on recycled paper